

No: 47(109)/RTI Cell/Appeal/2022**Delhi Urban Art Commission,****Core 6A, Upper Ground Floor, India Habitat Centre, Lodi Road,
New Delhi-110003.**

Dated: May 18, 2022

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

An Appeal RTI Appeal no: nil dated 22.04.2022 received in this office 25-04-2022 filed by Shri Devender Dev Sharma, **16 C, भैरों मंदिर, बौलेवर्ड रोड, सिविल लाइंस, नॉर्थ दिल्ली-110054** against the decision dated 18.04.2022 given by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC, New Delhi.

On an RTI application filed by Shri Devender Dev Sharma under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005. In exercise of the powers, conferred upon the Appellate Authority by Section 19(6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following order:

1. Shri Devender Dev Sharma has filed an RTI application No.nil dated 18.04.2022 under the Right to information Act, 2005 seeking the following information:
1. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।
2. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।
3. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है और फिर नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन उस बिल्डिंग को बुक कर लेती है बुक करने से मतलब क्या वह बिल्डिंग unauthorized हैं लिखित में जानकारी दी जाए।
4. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है तो क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सेगसन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलीगल हैं लिखित में जानकारी दी जाए।
5. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।
6. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सेगसन कर सकता है या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।
7. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं और वह शाहजहानबाद इनवेनटरी ऑफ हेरिटेज-1 में उस बिल्डिंग की फोटोग्राफ हैं और बिल्डिंग का विवरण जैसे Plan Form, Height, Transformation Conditions-Plan, Elevation, Walls, Plinth Decoration-Doors, Windows, Columns, Entablature, Brackets, Chajjas, Balcony Railings, हैं इन सब को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए HCC या उत्तरी दिल्ली नगर निगम दोनों या किसी एक से अनुमति लेना जरूरी है या बिना अनुमति लिए भी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना सकते हैं लिखित में जानकारी दी जाए। "

- a. Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC vide letter no. nil dated 18.04.2022 had given the following reply to Shri Devender Dev Sharma within the stipulated time limit.

"प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जो की हेरिटेज सूची में है। उसको HCC से अनुमोदित करवाना अनिवार्य है।"

- b. Since Shri Devender Dev Sharma was not satisfied with the reply given by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO related to the query of his RTI application No. nil, he has filed an appeal dated 18.04.2022 before the Appellate Authority.

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

1. The original application of the applicant and the reply from CPIO has been carefully examined from the concerned RTI file. I am of the opinion that the information provided by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO is in order.
2. The appeal stands disposed of.

Date: May 18, 2022

Place: New Delhi


(Ruby Kaushal)
Secretary &
First Appellate Authority

To,

Copy to: Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC.